क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं है। प्रार्थी के पिता ने विवादित भूमि को जरिए रजि. विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 3 को वर्ष 2008 में ही कर दिया था। अप्रार्थी सं. (1) व (2) ने विवादित भूमि को दावा दायरी से पूर्व अप्रार्थी सं. (3) से जरिए रजि. विक्रय-पत्र क्रय कर लिया था। प्रार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उपर्युक्त दोनों बेचान उसकी जानकारी में नहीं थे, एवं उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर हो Sd/ उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)